कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।
Email: cfgiridih@gmail.com

पत्रांक :— गिरिडीह / दिनांक :—

प्रेषक,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

सेवामें,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
—सह—
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :— **गोविन्दपुर—टुण्डी—गिरिडीह पथ में कुल 16.8063 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा गोविन्दपुर—टुण्डी—गिरिडीह पथ में कुल 16.8063 हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु संशोधित प्रस्ताव को ऑनलाईन अपलोड किया गया है, जिसमें गिरिडीह जिला का 1.8863 हे0 एवं धनबाद जिला का 14.92 हे0 वनभूमि निहित है, जिसका प्रस्ताव संख्या—FP/JH/Road/26793/2017 है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पत्राक 2103, दिनांक 06.10.2017 द्वारा गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत पड़ने वाले 1.8863 हे0 वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की विवरणी निम्नवत् हैं :—

क्र0 सं0	मौजा का नाम	थाना / थाना नं0	प्लॉट नं0	रकवा (एकड़ में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	ताराटांड	गाण्डेय—583	2325	0.2144	पी0एफ0
2			1990	0.0283	पी0एफ0
3	बड़कीटांड	गाण्डेय—263	2	0.3036	पी0एफ0
4			48	0.3644	पी0एफ0
5			146	0.1215	पी0एफ0
6			101	0.0931	पी0एफ0
7			180	0.1619	पी0एफ0
8			131	0.0243	पी0एफ0
9			157	0.4534	पी0एफ0
10			164	0.0405	पी0एफ0
11	गंगापुर	गिरिडीह—262	379	0.0809	पी0एफ0
12		कुलः—		1.8863 हे0	

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है। वे कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के

justification एवं purpose wise break-up से सहमत हैं। साथ ही पूर्ण परियोजना में शामिल भूमि का किस्म (Schedule of land) जो कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा समर्पित किया गया है, से स्पष्ट है कि पूर्ण परियोजना में मात्र 1.8863 हे० वनभूमि शामिल है, जिसके अपयोजन के लिए यह प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उपर्युक्त वनभूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश बिना नहीं किया गया है।

इस प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित पार्ट–I
2. 1:50000 स्केल के टोपो शीट पर लोकेशन मैप।
3. प्रस्तावित वनभूमि का Geo-referenced map.
4. गोबिन्दपुर–टुण्डी–गिरिडीह पथ की आंशिक नक्शा जिस पर प्रस्तावित वनभूमि दर्शाया गया है।
5. विहित प्रपत्र पार्ट–II में वन प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा।
6. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।
7. क्षतिपूरक वनरोपण योग्य भूमि संबंधी प्रमाण पत्र।
8. क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।
9. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का टोपो शीट नक्शा एवं मौजा नक्शा।
10. वृक्षो की गणना सूची।
11. अपयोजित होने वाली वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वनभूमि का KML एवं Shape file सी०डी० के रूप में।
12. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, गिरिडीह से निर्गत विहित प्रमाण–पत्र।
13. विहित प्रपत्र पार्ट–III में मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा।

अतः प्राप्त प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि यथोचित अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु०:–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

ह०/–

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

ज्ञापांक ....1171...., दिनांक ...11/10/2017....

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।

11.10.2017

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

नोट सीट पृष्ट स0:–

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वनं प्रमण्डल द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह का गोबिन्दपुर–टुण्डी–गिरिडीह पथ में कुल–16.8063 हे0 वनभूमि के अपयोजन के प्रस्ताव में से गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अंन्तर्गत पड़ने वाले 1.8863 हे0 वनभूमि के अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड कर समर्पित किया गया है। अपयोजन हेतु कुल प्रस्तावित 16.8063 हे0 वन भूमि में से शेष–14.92 हे0 धनबाद जिला के अन्तर्गत पड़ता है।

अधोहस्ताक्षरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अनुशंसा से सहमत हैं। तद्नुसार प्रपत्र–III पर आवश्यक सूचना अंकित कर दिया गया है।

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बोकारो
स0 3614
दि0 11/10/17

अन्य सभी अभिलेख के साथ प्रस्ताव पाँच प्रतियों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को भेजा जा सकता है।

भवदीय प्रारूप अनुमोदन करना चाहेंगे।

यथा प्रस्तावित
अनुमोदित

ज्ञापांक 1869
दिनांक 11/10/2017

Regional Chief Conservator of Forest
Bokaro
11/10/17

मोहन लाल 10.10.2017
माहेन लाल,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।